

मत्स्य पालन संबंधी सामान्य जानकारी हेतु प्रश्नावली

प्रश्न 1. मैं मत्स्य पालन संबंधी जानकारी चाहता हूँ, यह कहाँ से प्राप्त हो सकती है ?

उत्तर. आप जिस जिले के रहने वाले हैं उस जिले के मत्स्य विभाग के कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित जिला अधिकारी का पता वेबसाईड पर उपलब्ध है।

प्रश्न 2. मत्स्य पालन की कौन-कौन सी योजना है ?

उत्तर. विभाग में दो प्रकार की योजना संचालित है। पहली केन्द्रीय परिवर्तित योजना मत्स्य पालक विकास अभिकरण के माध्यम से, दूसरी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईड पर उपलब्ध है।

प्रश्न 3. मत्स्य पालन संबंधी प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र कहाँ पर उपलब्ध है ?

उत्तर. मत्स्य पालन के प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाईड पर उपलब्ध है तथा जिला मत्स्य कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न 4. मत्स्य पालन के प्रशिक्षण के दौरान विभाग द्वारा क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं ?

उत्तर. इस संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईड पर उपलब्ध है।

प्रश्न 5. मत्स्य पालन की तकनीकी जानकारी कैसे उपलब्ध हो सकती है ?

उत्तर. आप मत्स्य पालन के प्रशिक्षण में भाग लेकर विस्तृत तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न 6. मत्स्य पालन हेतु तालाब निर्माण से पूर्व मिट्टी पानी की जाँच कहाँ हो सकती है ?

उत्तर. आपके जिले की कृषि प्रयोगशाला में मिट्टी पानी की जाँच कराई जा सकती है।

प्रश्न 7. कौन-कौन सी मछली की प्रताति का बीज पालने योग्य है ?

उत्तर. आप कतला, रोहू, मिग्रल एवं ग्रासकार्प व कॉमनकार्प आदि मछलियों को एक साथ अथवा अलग-अलग पालन कर सकते हैं।

प्रश्न 8. मछली के बीज राज्य में कहाँ-कहाँ पर मिल सकते हैं ?

उत्तर. विभाग राजकीय फार्म कोटा, रावतभाटा, कासिमपुरा (कोटा) गुवाडी फार्म,(भीलवाडा), भीमपुर फार्म (बांसवाडा) एवं निजी क्षेत्र में चौधरी हैचरी, हनुमानगढ से प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न 9. सामान्य कृषि को छोडकर मत्स्य पालन से क्या लाभ है ?

उत्तर. कम मेहनत, कम व्यय में मत्स्य पालन से लगभग 1 लाख रुपये प्रति वर्ष लाभ कमाया जा सकता है।

प्रश्न 10. क्या मत्स्य बीज उत्पादन से लाभ मिल सकता है ?

उत्तर. हाँ, मत्स्य बीज की राज्य में कमी है। काफी मात्रा में बीज बाहर से आयात होता है। यदि किसी कृषक के पास मत्स्य बीज उपलब्ध है तो वह तुरन्त बिक जाता है।

प्रश्न 11. क्या स्पान का पालन कर मत्स्य बीज तैयार कर लाभ मिल सकता है ?

उत्तर. हाँ, यदि आपके पास मत्स्य बीज उत्पादन लायक भूमि नहीं है तो थोडी भूमि में

स्पान रियरिंग का कार्य किया जा सकता है जिससे प्राप्त मत्स्य बीज विक्रय कर लाभ कमाया जा सकता है। इसके द्वारा एक सीजन में तीन बार उत्पादन किया जा सकता है।

प्रश्न 12. क्या मछली में भी बीमारियां होती हैं ?

उत्तर. मछली में बीमारियां बहुत कम होती हैं। यदि कोई बीमारी दिखाई देती है, तो संबंधित

मत्स्य जिला अधिकारी से सम्पर्क कर उसका उपचार कराया जा सकता है।

प्रश्न 13. राजकीय जलाशयों के मत्स्य पालन हेतु आवंटन की क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर. "घ" प्रवर्ग के जलाशयों को जिनकी वार्षिक आय 10,000 रुपये से कम है को मत्स्य

पालक विकास अभिकरण के माध्यम से प्रशिक्षित मत्स्य कृषकों को पाँच से दस वर्ष तक के लिए आवंटित किया जाता है।

प्रश्न 14. राज्य में मछली पालन के ठेके लेने की क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर. पाँच लाख से अधिक वार्षिक आय वाले जलाशयों के ठेके निदेशालय मत्स्य, जयपुर

के स्तर से, पाँच लाख से कम एवं 50,000 से अधिक आय वाले जलाशयों के ठेके जिला परिषद स्तर पर एवं 50,000 से कम आय वाले जलाशयों के ठेके/आवंटन संबंधित पंचायत समिति स्तर पर किये जाते हैं।

प्रश्न 15. निषेध ऋतु का क्या अर्थ है। यह कब लागू होती है ?

उत्तर. निषेध ऋतु वर्षा का समय है इस समय मछली प्राकृतिक रूप से नदी तालाबों में प्रजनन करती है, तथा आखेट पर रोक रहती है, इस कारण इस अवधि को निषेध ऋतु कहा गया है। यह 16 जून से 31 अगस्त तक रहती है। इस अवधि में स्वच्छ जल की मछली पकड़ना, बेचना अपराध की श्रेणी में आता है। इसे वेवसाईड पर भी देखा जा सकता है।

प्रश्न 16. निषेध ऋतु में क्या मत्स्य कृषक स्वयं की भूमि में निर्मित तालाब से उत्पादित मछली

बेच सकता है ?

उत्तर. नहीं, यह नियम सभी पर लागू है।

प्रश्न 17. क्या कोई भी व्यक्ति राजकीय जलाशय में मछली पकड सकता है ?

उत्तर. बिना वैध लाईसेन्स प्राप्त किये कोई भी व्यक्ति किसी भी जलाशय में मछली नहीं पकड सकता है।

प्रश्न 18. क्या इसमें सजा का प्रावधान है ?

उत्तर. हाँ, मत्स्य अधिनियम 1953 एवं नियम 1958 के तहत बिना लाईसेन्स तथा लेबर परमिट के मछली पकडना अपराध है। इसे धारा 6/8 के तहत कार्यवाही एवं सजा का प्रावधान है।

प्रश्न 19. सरकारी जलाशयों में मछली पकडने के जालों की साईज क्या है ?

उत्तर. राजकीय जलाशयों में मछली पकडने के जाल गिल नेट (फसले जाल) ढेड इन्च बार साईज तथा तीन इन्च मेश साईज से कम नहीं होने चाहियें। यही साईज चोंदी एवं छण्टे के लिए भी लागू होती है।

प्रश्न 20. क्या राजकीय जलाशयों में मछली का सुखान कराया जा सकता है ?

उत्तर. नहीं, मछली के सुखान पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।